न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 36 / 2021

रघुवीर सिंह ठाकुर मनोनीत पार्षद निवासी मकान न0 9 सिरकी वाले हनुमान मंदिर के पास बुद्व की हाट भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 24.05.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट रघुवीर सिंह ठाकुर मनोनीत पार्षद निवासी मकान न0 9 सिरकी वाले हनुमान मंदिर के पास बुद्व की हाट भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2021 उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 343 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी रूपवास से उनके पत्र कमांक / 494 दिनांक 17.05.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 494 दिनांक 17.05.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 378 दिनांक 22.03.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर